CITY OF PATNA

# पटना नगर निगम

## ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क से संबंधित आम सुचना

1. कोरोना महामारी की वजह से बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन की वजह से कई प्रकार की संपत्तिया उक्त अवधि में बंद रही हैं जिन से ठोस अपशिष्ट का उठाव पटना नगर निगम द्वारा नहीं किया गया है। इस आलोक मे पटना नगर निगम के द्वारा सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं की वजह से लगे लॉकडाउन की अवधि के दौरान बंद रहे व्यावसायिक दुकानों एवं प्रतिष्ठानो पर उक्त अवधि का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क की वसूली नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।
2. वैसे प्रतिष्ठान जो गीले कचरे की प्रोसेसिंग स्वयं करते हैं उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क से **50 प्रतिशत** की छूट दी गयी है।
3. वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क की राशि का भुगतान नागरिक त्रैमासिक (3 महीनों का एक साथ), अर्धवार्षिक (6 महीने का एक साथ) एवं वार्षिक आधार पर कर सकते हैं।
4. संपत्ति कर एक प्रकार का कर है, जबकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क उपभोक्ता शुल्क हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क एवं संपत्ति कर का समायोजन एक साथ नहीं किया गया है। अतः नागरिकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के भुगतान हेतु अलग से रसीद दी जाएगी। यदि नागरिक चाहें तो अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क की राशि का भुगतान अलग से कर सकते हैं।
5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क हर घर/प्रतिष्ठान से लिया जाना है। अतः वैसे संपत्तिधारक जिनके घरों/प्रतिष्ठानों में किराये दार हैं वहां पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क किराये दार से वसूला जायेगा। इस हेतु आवश्यक है कि सभी संपत्ति धारक अपने संपत्तियों में अवस्थित किरायेदारों की विस्तृत विवरणी हमारे टैक्स कलेक्टर को उपलब्ध कराएँ जिससे कि किरायेदारों के नाम पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क अधिरोपित किया जा सके।
6. यदि इस आलोक में आपकी कोई शिकायत हो तो आप पटना नगर निगम के टोल फ्री नंबर **18001218545** पर कार्यावधि में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप अपने संपत्ति कर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क का भुगतान पटना नगर निगम के सभी अंचलों में अवस्थित काउंटर पर अथवा **pmc.bihar.gov.in** एवं **patnamunicipal.net** के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।

नगर आयुक्त<br>
पटना नगर निगम